न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—06/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/06)

1. बजरंग माली पुत्र गज्जू माली, जाति माली, निवासी पारा, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र बालू जाति बलाई, निवासी पारा, तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी तहसील जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 29/2022

उपस्थितः—
1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट संख्या
2. श्री सलमान खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः—29.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलांट एवं राज्य सरकार उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर अपीलांट के नाम नोटिस जारी किया गया। जिस पर बिना अपीलांट को प्रोपर नोटिस तामील कराये सरसरी तौर पर दिनांक 22.6.2022 को अपीलांट की तामील होना मानते हुए बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रवाली को वास्ते मौका रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु नियत कर दिया गया। तत्पश्चात भू—अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 21.2.2022 को फर्द मौका धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाया गया जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकन किया गया कि खसरा नम्बर 1768 सिवायचक भूमि है तथा खसरा नम्बर 1767 खातेदारी की भूमि है जो खातेदार दशरथ कंवर पत्नी हनुमान सिंह हिस्सा 3/40, भूपेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह हिस्सा 31/360, भूली पत्नी रमेश हिस्सा 31/360 एवं रमेश पुत्र बजरंग लाल हिस्सा 2/3 व राहिन एस.बी.आई. केकडी के रहन दर्ज होना अंकन करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट प्रेषित की गई। इसके बावजूद भी बिना खसरा नम्बर 1767 के खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना सरसरी तौर पर बजरंग पुत्र गज्जू माली को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जबकि खसरा नम्बर 1767 का बजरंग पुत्र गज्जू माली खातेदार काश्तकार ही नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2022 को आराजी खसरा नम्बर 1767 में रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि आराजी खसरा नम्बर 1767 का अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नहीं है बल्कि भूपेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह, भूली पत्नी रमेश, भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह, रमेश पुत्र बजरंगलाल, दशरथ कंवर पत्नी बजरंग सिंह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जो कि जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 व नक्शा ट्रेस से पूर्णतया स्पष्ट है। जिनको बिना पक्षकर मुर्तिब किये बिना, बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर आराजी खसरा नम्बर 1767 में रास्ता प्रदान करने में अनियमितता कारित की है। अपीलांट को प्रोपर नोटिस तामील नहीं कराया गया एवं गैर कानूनी रूप से अपीलांट के पुत्र रमेश के गलत तौर पर फर्द मौका दिनांक 21.9.2022 में हस्ताक्षर करवा कर उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर त्रुटि कारित की है चूंकि गिरदावर व हल्का पटवारी द्वारा मुर्तिब रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 1767 के खातेदारों के नाम अंकित कर रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी तो ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, केकडी आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. के तहत उपरोक्त रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार मुर्तिब किया जाकर नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही खसरा नम्बर 1767 में से रास्ता कायम किया जा सकता था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने उपरोक्त रिपोर्ट को नजर अन्दाज करते हुए बिना उपरोक्त खातेदारों को पक्षकार मुर्तिब किये बगैर रास्ता कायम करने में त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने अपने द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 में निर्णय के पेज संख्या 2 के पैरा संख्या 3 में सरकार ने जवाब /मौका रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है, जिसके अन्दर उपरोक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 1767 के खातेदार दशरथ कंवर पत्नी हनुमान सिंह हिस्सा 3/40, भूपेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह हिस्सा 31/360, भूली पत्नी रमेश हिस्सा 31/360 एवं रमेश पुत्र बजरंग लाल हिस्सा 2/3 व राहिन एस.बी.आई. केकडी के रहन दर्ज होना वर्णित किया है, इसके बावजूद भी बिना खसरा नम्बर 1767 के खातेदारों को पक्षकार मुर्तिब किये बगैर रास्ता कायम करने में उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा त्रुटि कारित की गई है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष खसरा नम्बर 1767 के खातेदारों को पक्षकार मुर्तिब करते हुए नोटिस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जारी किया जाता तो अपीलांट एवं अन्य सह खातेदार वास्तविक रूप में विपक्षी के खातेदारी आराजी पर जाने का रास्ता है या नहीं इस बाबत जवाब प्रस्तुत करते। कानूनन विपक्षी की खातेदारी की आराजीयात पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उज्र उठाया जाता परंतु अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने से एक तरफा में निर्णय पारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार अंकन हो रखा है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का भौतिक रूप से कब्जा उपभोग चला आ रहा है। उक्त आराजी में आवागमन हेतु एवं फसल काश्त करने आने जाने हेतु प्रार्थी के पास कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अपने खातेदारी की आराजी को काश्त करने फसल लाने ले जाने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, जिससे प्रार्थी को उक्त आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की सख्त-आवश्यकता है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वाद वर्णित प्रार्थी की आराजी के पूर्व दिशा की और खसरा नम्बर 1769 जो कि आम रास्ता है तथा 1768 सिवायचक भूमि है उसके बाद अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी खसरा संख्या 1767 में होते हुए रास्ता हैं। खसरा संख्या 1768 जो कि सिवायचक भूमि है जिस पर अप्रार्थी सं. 01 ने अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है तथा प्रार्थी के आवागमन के रास्ते को बन्द कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी अपनी आराजी में आने जाने से कासिर हो रहा है, जबकि अप्रार्थी सं. 01 को सिवायचक भूमि पर कब्जा कर रास्ता रोकने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी को वाद वर्णित आराजी में आवागमन हेतु एवं काश्त करने के लिए आने जाने हेतु संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही से अंकित मार्क है में से होकर रास्ते की सख्त आवश्यकता है, जिसके लिए प्रार्थी निर्धारित डी.एल. सी. रेट से राशि जमा कराने हेतु प्रार्थी तैयार है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिए नहीं है। संलग्न नक्शा अनुसर लाल स्याही से अंकित रास्ता है जिस पर होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी वाद वर्णित खसरा नंबर 1679 में आसानी से आवागमन कर सकता है। प्रार्थी की वाद वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में अंकित रास्ता जो कि लाल स्याही से दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से उक्त निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। दिनांक 5.5.2022 को अधिवक्ता वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.6.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दिनांक 22.11.2022 को तहसीलदार, केकड़ी से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 30.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नम्बर 1679 में आने जाने बाबत रास्ते की मांग की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध चौसाला जमाबंदी 2069–2072 ग्राम पारा तहसील केकडी जिला अजमेर जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 को खसरा नम्बर 1767 में रास्ते देने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1767 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार भूपेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह, भूली पत्नि रमेश, भंवरसिंह पुत्र हनुमानसिंह, रमेश पुत्र बजरंगलाल, दशरथ कंवर पत्नि बजरंगसिंह हैं, जो कि जमाबंदी संवत 2069 से 2072 व नक्शा ट्रेस से पूर्णतया स्पष्ट है। जिनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में बिना पक्षकार मुर्तिब किए, बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। चूंकि दिनांक 21.6.2022 को पटवारी हल्का पारा व भूअभिलेख निरीक्षक पारा द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से एकपक्षीय मौका रिपोर्ट है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 1767 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना पक्षकार बनाए सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई गई है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के संदर्भ में रेस्पोडेंट संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 1679 में आने जाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 1768, 1767 कटानी रास्ता चाहा। उक्त खसरा संख्या 1768 में से 85 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1767 में 45 वर्गमीटर रास्ता दिया है। खसरा नम्बर 1768 सिवायचक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए रास्ते बाबत भी नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार से दिशा बाबत कोई अंकन नहीं किया है कि रास्ता प्रार्थी को किस छोर से या किस दिशा से दिया गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 में तकनीकि त्रुटि कारित की गई है। अतः उनके द्वारा पारित निर्णय किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है ना ही नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के अनुकुल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1767 के पक्षकारान को उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष दिनांक 20.02.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

29/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner